

9.6.2018

2025/221

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
पानादेवी बनाम देवकी आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 164 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.04.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">~ "</p> <p style="text-align: center;"> कुलकर्णी उपखण्ड उपायुक्त/PU माह २०२५ पत्रावली नम्बर ४०५/२५ दिनांक ५.५.२०२५ पेश हो </p>	
09/6/2025	<p>वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना होने के कारण वादी वाद डालने नहीं चलाना चाहती। अतः वाद वादी मौजूदा स्थिति में धारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर ले कर के जाकर दाखिल रजिस्टर हो।</p>	<p>8.4 पत्रावली</p> <p>राजिनाम सी.के.राव चलान वकील दी</p>

